



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0-22/2020-113

दिनांक :- 17/2/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण तथा पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल **रु0 40.235 लाख (चालीस लाख तेइस हजार पांच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-25/2020-26/स्वी0 व0प0 दिनांक-27.01.2021 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0 बजट-25/2020-40/आ0 व0प0 दिनांक-29.01.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 40.235 लाख (चालीस लाख तेइस हजार पांच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	11.661
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	28.574
कुल :-		40.235

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1(क से ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2(क से ख)** एवं स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3(क से ख)** पर तथा ऑन लाईन उप-आवंटन **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।
10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेंसी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।



(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैटर्न पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।



(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।



19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2341 दिनांक-04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में प्लॉट संख्या एवं जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेट्स अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का प्लॉट संख्या एवं जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेट्स उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-22/2020-113 दिनांक- 17/2/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/देवघर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-22/2020-113 दिनांक- 17/2/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ दुमका/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			212.98	922.75	1135.73
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	300	0.639	2.768	3.407
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	600	1.278	5.536	6.814
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1700	3.621	15.686	19.307
योग :-		2600	5.538	23.990	29.528

अनुलग्नक-1(ख)

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 295.80 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			612.31	458.40	1070.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1000	6.123	4.584	10.707
योग :-		1000	6.123	4.584	10.707
सकल योग :-		3600	11.661	28.574	40.235

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम- पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित - गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार - उपर का व्यास रींग 2'5''
 बीच का व्यास रींग 2'0'' एवं नीचे का व्यास रींग
 1'5'', ऊँचाई - जमीन से उपर 5'3'' तथा एक
 फीट गहरा जमीन में एवं 9'' की पत्ती मुड़ी जो
 आगे से कटी हुई हो।

स्पेसिंग - पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी0

कार्य दर - एक गैबियन

पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी0

मजदूरी प्रति मानव दिवस: 295.80 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 295.80						
1	घेरान कार्य						
क	गैबियन हेतु हरे रंग का hexagonal आकार का पॉलीनेट (thickness of filament 4mm, thickness of joint 5.5mm, 550 GSM, Polynet @ Rs 85/sq.mtr.) का क्रय	3.5 sq.mtr	0.00	0.00	297.50	297.50	
ख	लोहे की पत्ती (5mm thick, 20mm wide, 40 feet length) का क्रय एवं गैबियन निर्माण (रु0 65/- प्रति किलो कुल 9 कि0ग्रा0)	प्रति गैबियन	0.40	118.32	485.00	603.32	
ग	गैबियन का खूँटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा गाड़ने हेतु 1' X 6" X 6" आकार के 3 गद्दों को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढलाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	44.37	20.25	64.62	
घ	प्लास्टिक स्टेपलस का क्रय एवं स्टेपलस को पॉलीनेट एवं लोहे के पत्ती के साथ बाहर से बांधना।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
ड	सामान की ढलाई प्रति गैबियन रु0 50/-	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
च	गैबियन की लोहा पत्ती पर पाउडर कोटेड पेंट।	प्रति गैबियन	0.00	0.00	50.00	50.00	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	50.29	0.00	50.29	
	योग		0.72	212.98	922.75	1135.73	
(B)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 340 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.00	20.00	71.00	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.00	2.00	36.00	
4	तीन कोड़नी निकोनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.00	4.50	55.50	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	170.00	25.00	195.00	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	170.00	0.00	170.00	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	476.00	96.50	572.50	

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 391 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	58.65	4.50	63.15	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	195.50	5.00	200.50	
3	गैबियन की मरम्मत एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	195.50	60.00	255.50	
	योग		1.15	449.65	69.50	519.15	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 450 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	67.50	4.50	72.00	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	225.00	5.00	230.00	
3	गैबियन की मरम्मत एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	225.00	60.00	285.00	
	योग		1.15	517.50	69.50	587.00	
	कुल योग		4.42	1656.13	1158.25	2814.38	

- नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।
 (2) गैबियन पर गैबियन संख्या अंकित की जाएगी।
 (3) गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।
 (4) प्रत्येक ग्राम के निकट पथ के दोनों तरफ कम से कम 50 फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
 (5) पौधों का क्रय विभागीय पौधशालाओं से करने को प्राथमिकता दी जाय।
 (6) चार वर्षों की योजना समाप्ति के पश्चात् पोलीनेट जाली को खोलकर इसे recycle करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

**योजना का नाम- पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण
की अनुसूचित कार्य दर**

1. बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6" पक्कित से पक्कित की दूरी - 3 मी०
2. स्पेसिंग - पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०
3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 295.80 रूपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 295.80						
1	घेरान कार्य						
क	बाँस का खूँटा -4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'-6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 4 बाँस @ 80.00 रु. ; प्रति ग्रामीण बाँस) डुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	320.00	320.00	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	1.00	295.80	0.00	295.80	
ग	खूँटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.20	59.16	6.00	65.16	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.30	88.74	90.00	178.74	गर्म पेंट में डूबोकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा-एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा।
ड	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गडो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.20	59.16	0.00	59.16	
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना-4 खूँटा -20 खूँटा प्रति मानव दिवस (डुलाई सहित)	प्रति गैबियन	0.20	59.16	15.00	74.16	
छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		0.00		0.00	
	(1) तार 100 ग्राम (67/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	6.70	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/- रु. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	20.70	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	50.29	0.00	50.29	
	योग		2.07	612.31	458.40	1070.71	
(B)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर डुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	छ: फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाएंगे
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	51.00	20.00	71.00	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	34.00	2.00	36.00	
4	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	51.00	4.50	55.50	
5	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	170.00	25.00	195.00	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	170.00	0.00	170.00	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	476.00	96.50	572.50	

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(C)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 391 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	58.65	4.50	63.15	
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	195.50	5.00	200.50	
3	बॉस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	195.50	60.00	255.50	
	योग		1.15	449.65	69.50	519.15	
(D)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 450 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022-23 को आधार मानते हुए						
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	67.50	4.50	72.00	
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	225.00	5.00	230.00	
3	बॉस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	225.00	60.00	285.00	
	योग		1.15	517.50	69.50	587.00	
	कुल योग		5.77	2055.46	693.90	2749.36	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची
 12/11/2023

[illegible]

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोग) के अन्तर्गत पथतट/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैवियन से वृक्षारोपण का स्थल विवरणी

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/थाना नं०	स्थल का नाम	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट्स	प्लॉट नं०	एक बा (गै० मे)
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	सा०वा० प्रक्षेत्र, खुँटी			कर्रा से बाला मोड़	N23°02'42" E85°06'07"		500
		सा०वा० प्रक्षेत्र, लोहरदगा			नगजुआ से एड़दोन	N23°27'19" E84°52'38"		200
		सा०वा० प्रक्षेत्र, तमाड़			भोरगाडीह बाहाडीह से सिरिडीह	N23°10'28" E85°35'10"		300
		योग:-						1000


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2020/113

दिनांक - 17-Feb-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वन एवं भूत 03 - मजदूरी State Scheme	78543	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	63,900.00 रुपये तीरसठ हजार नौ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वन एवं भूत 03 - मजदूरी State Scheme	78548	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	127,800.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग: 191,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक लाख इनकानवे हजार सात सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme	78551	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	974,400.00 रुपये नौ लाख चौहत्तर हजार चार सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
4	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	78557	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	276,800.00 रुपये दो लाख छहत्तर हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	78559	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	553,600.00 रुपये पाँच लाख तीरपन हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योग:

1,804,800.00

क्रमिक योग:

रुपये उन्नीस लाख छयानवे हजार पाँच सौ

1,996,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूर्चित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	78562	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	2,027,000.00 रुपये बीस लाख सत्ताइस हजार
	AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)			
	NA			

योग:

2,027,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चालीस लाख तेइस हजार पॉच सौ

4,023,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND